

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/म.गा. एवं गुण./प्रस्ताव/2022-23

दिनांक 13.09.2022

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र
शिक्षा, सिरोही, चुरु।

- विषय :- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में
रूपान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।
प्रसंग :- शासन उप सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्र क्रमांक: प
4(15) शिक्षा-1/2022 दिनांक 07.09.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 की वजह
घोषणा के बिन्दु सं. 37 की क्रियान्विति के अनुसरण में निम्न तालिका में अंकितानुसार राजकीय उच्च प्राथमिक
विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये जाने की शर्ताधीन स्वीकृति
एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	जिला	ग्राम पंचायत / ब्लॉक / पंचायत समिति	विधानसभा क्षेत्र	रूपान्तरित किये जाने वाले विद्यालय का नाम
1.	सिरोही	पिण्डवाडा	पिण्डवाडा आवू	राउप्रावि नम्बर 1 पिण्डवाडा (डाईस कोड 08190114302)
2.	चुरु	रतनगढ	रतनगढ	राउप्रावि पण्डितपुर रतनगढ (डाईस कोड 08040615501)

शर्त:-

1. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय(अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपान्तरित किये गये इन विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रारम्भ किया जायेगा।
2. उक्त रूपान्तरित विद्यालयों में सत्र 2022-23 में कक्षा 1-5 तक की कक्षाओं को ही अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित किया जायेगा एवं आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा 6-8 एवं तत्पश्चात पूर्व में जारी निर्देश दिनांक 14.06.2019 के अनुसार कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।
3. रूपान्तरण से पूर्व विद्यालयों में जिस तृतीय भाषा का संचालन किया जा रहा था, अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरण के पश्चात भी उन विद्यालयों में उसी तृतीय भाषा का संचालन किया जायेगा।
4. रूपान्तरित किये जाने वाले विद्यालय का नाम, क्षेत्र(ग्रामीण/शहरी) स्तर, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिले के नाम की जांच करते हुए ही आदेश जारी किये जावें।


(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, एवं पंचायती राज(प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव, प्रथम शिक्षा(ग्रुप:-1) विभाग राजस्थान, जयपुर।

8. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., शिक्षा संकुल, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (सम्बन्धित सम्भाग)।
11. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा (संबंधित जिला)।
12. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा (संबंधित जिला)।
13. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा (संबंधित ब्लॉक)।
14. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, रास्कूशिप, जयपुर राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल पर उक्तानुसार विद्यालयों को अद्यतन करवाने की यथाशीघ्र कार्यवाही संपादित करावें।
16. उप निदेशक योजना अनुभाग कार्यालय हाजा।
17. सहायक निदेशक माध्यमिक/योजना अनुभाग कार्यालय हाजा।
18. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
19. रक्षित पत्रावली।




उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर